Q. भारत मे राज्य की राजनीति मे राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। विशेष रूप से बिहार के संदर्भ मे क्या वह केवल एक कठपूतली है?

⇒ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार, पत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, जो राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष एंव संवैधानिक पमुख होता है।

सरकारिया आयोग के अनुसार, राज्यपाल राज्य एंव केन्द्र के बीच जुड़ाव की कड़ी है। भारतीय राजनीति व्यवस्था मे, राज्यपाल संघीय व्यवस्था का पतिनिधित्व करते है। राज्यपाल के कार्य के दो व्यवहार है, जो राज्य की राजनीति मे उनकी भूमिका को पदर्शित करते है।

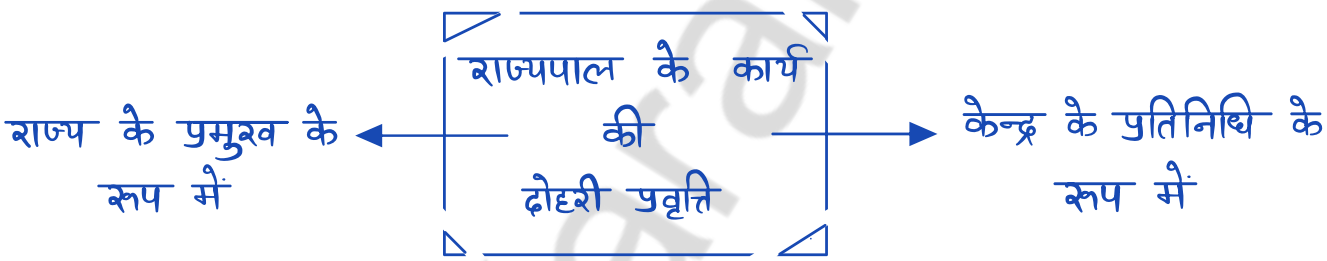

1 राज्य के पमुख के रूप में कार्य:-

राज्य के पमुख के रूप में कार्य करते हुए, राज्यपाल को व्यापक शक्तिपाँ पाप्त है, जिनके द्वारा वह अपने कत्तव्यो का निर्वहन करते है।

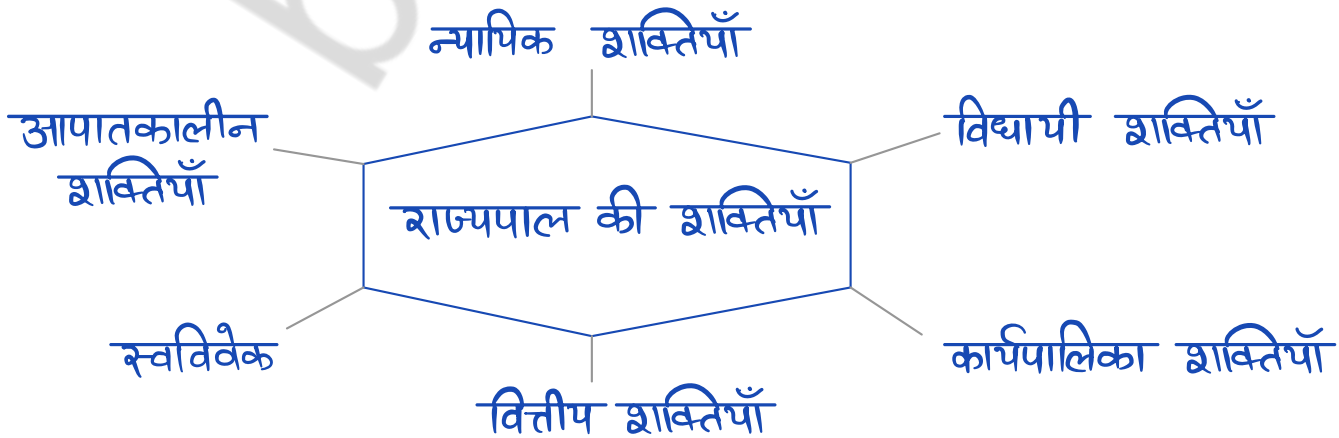

by Karan Sir

कार्यपालिका (कार्यकारी) शक्तियाँ

- Art 153 - राज्य के प्रशासनिक कार्य राज्यपाल के नाम से क्रियान्वित
- Art 163- मुख्यमंत्री एंव उसकी सलाह से अन्य मंत्रियो की नियुक्ति
- Art 316- राज्यलोक सेवा अध्यक्ष एंव सदस्यों की नियुक्ति
- महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है।
- CM से प्रशासनिक कार्यों की जानकारी प्राप्त करता है।

विधायी शक्तियाँ

- Art 213 - राज्य विधापिका नही होने पर, अध्यादेश जारी करता है।
- Art 174 - राज्य विधापिका के सदन को बुलाना/ समाप्ति/ भंग करता है।
- राज्य विधानपरिषद के 116 सदस्यों को नामित करता है।
- विधेयको को स्वीकृत/ रोकना/ वापस कर सकता है।

वित्तीय शक्तियाँ

- अनुदान की माँग मे, राज्यपाल की सहमति जरूरी होती है।
- धन विधेयको को विधानसभा मे प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल उसकी स्वीकृति देते है।
- राज्यपाल सुनिश्चित करते है, कि राज्य का बजट, राज्य विधानमण्डल के सामने रखा जाए।
- आकस्मिक निधि से, वहन के लिए धन ले सकते है।

न्यायिक शक्तियाँ

By Karan Sir

- राज्य के न्यायाधीश की नियुक्ती मे राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।
- किसी अपराध के लिए प्रविलंबन, विराम या परिहार, लघुकरण की स्वीकृती देते हैं।
- उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति करते हैं।

आपातकालीन शक्तियाँ

- राज्य की विधि व्यवस्था खराब होने पर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देकर, राज्य मे राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं।

2. केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य :-

कार्य
- राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना। (Art 200)
- राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। (Art 356)
- राज्य मे विधानपरिषद् एंव प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना।
- खनन उत्खनन की रॉयल्टी के रूप मे, जनजातिय जिला परिषद् की राशि का निर्धारण।

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। जब केन्द्र एंव राज्य में भिन्न-भिन्न पार्टियों की सरकारे होती हैं, तो राज्यपाल की भूमिका ज्यादा विवादपूर्ण हो जाती हैं।

1967 से केन्द्र एंव राज्यों मे भिन्न-भिन्न दलों की सरकारें बनने से राज्यपाल एंव मुख्यमंत्री विवाद बढ़ने लगे एंव राज्यपाल ने तत्कालीन राज्य सरकारों को बरखास्त किया।

by Karan Sir

वर्तमान परिदृश्य मे विवाद के कुछ क्षेत्र निम्न है, जो राज्यपाल राज्य की क्रियाविधि पर उनकी भूमिका पर प्रश्नचिन्ह लगाते है :-

विवाद के क्षेत्र

- दिल्ली सरकार एंव राज्यपाल का विवाद।
- महाराष्ट्र मे त्रिशंकु विधानसभा होने पर राज्यपाल के द्वारा दुसरे दलों को सरकार आयोजित करने के लिए नही बुलाया।
- बंगाल मे राज्यपाल एंव मुख्यमंत्री का विवाद।
- तमिलनाडु में NEET वाले विधेयक को राज्यपाल को वापस करना।
- मणिपुर हिंसा पर राज्यपाल की भूमिका।
- बिहार मे केन्द्रीय योजनाओं के राज्य द्वारा क्रियान्वन को लेकर विवाद।
- केरल, पंजाब, तमिलनाडु सरकारो द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को पहल, राज्यपाल के कार्यों के लिए।

राज्यपाल की आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है:-

- राज्य विधेयकों को स्वीकृत करने की कोई सीमा नहीं।
- कार्यकाल की संदिग्धता (5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त)
- शक्तियों को प्रयोग करने के दिशा निर्देशो का अभाव है, इसलिए इनका कार्य राजनीतिक पक्षपातपूर्ण लगता है।
- राज्यपाल एंव राज्य के बीच मतभेद दूर करने वाले वेग का अभाव
- राज्यपाल की राजनीतिक महत्वकांक्षा एंव केन्द्र के लिए कार्य करना
  जैसे:- बेबी मौर्या ने उत्तराखण्ड राज्यपाल पद से त्यागपत्र देकर UP विधानसभा चुनाव मे भाग लिया।

by Karan Sir

● बिहार के सन्दर्भ में राज्यपाल की भूमिका ●

बिहार में राज्यपाल एंव राज्य के बीच संघर्ष आजादी के समय से व्यापत है। कुछ महत्वपूर्ण विवाद निम्न है:-

(i) भूमि सुधार कानून को लेकर राज्यपाल माधव श्रीहरि अनय एंव राज्य के बीच विवाद का कारण बन गया था। जहाँ राज्यपाल ने विधेयक को अस्वीकृत कर दिया था।

(ii) 1967 में पहली बार राज्य में केन्द्र के विपरीत दूसरे दल की सरकार बनी और राज्य की क्रियाविधि को लेकर, राज्य सरकार को तात्कालिक राज्यपाल ने बरर्खास्त कर दिया था।

(iii) 1988 में राज्यपाल गोविन्द नारायण सिंह एंव मुख्यमंत्री के बीच विवाद, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लेकर हुआ। राज्यपाल ने दिल्ली जाकर CM की शिकायत की।

(iv) FEB 1991 राज्यपाल पुनुस सलीम को राज्य की कार्यपालिका ने संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करने से रोका। जिससे राज्यपाल ने नाराज होकर आलोचना की।

(v) राज्यपाल BM लाल द्वारा 1999 में (राबड़ी देवी) BPSC सदस्यों की नियुक्ति सम्बन्धी पैनल को हटाया, विश्वविद्यालय में कई स्वामियो को बताया एंव जलजमाव को लेकर सरकार की आलोचना की।

(vi) राज्यपाल सुन्दर सिंह भंडारी ने (1999) में बिना किसी ठोस आधार पर राबड़ी देवी की सरकार को बरर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया।

by Karan Sir

(vii) FEB 2005 में राज्यपाल बुटा सिंह ने किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नही किया। उनको लगा की सरकार बनाने मे विधायकों की खरीद बिक्री की आंशका थी, तो उन्होने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की।

(viii) 2017 में राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी द्वारा केन्द्र की सरकार के निर्देशानुसार कार्य किया एंव राज्य की सबसे बड़ी पार्टी RJD को सरकार बनाने का न्यौता नहीं दिया।

(ix) 17 वीं विधानसभा (2020) मे RJD को सरकार बनाने के लिए नही पूछा।

वर्तमान विवाद

2023: फागु चौहान ने राज्यसरकार को लेकर कई बार आलोचना की हैं।

क्षेत्र → राज्य सरकार की कृषि नीतियाँ, केन्द्र सरकार की योजनाओं को सही से लागु न करना।
क्षेत्र → राज्य सरकार की शिक्षा नीतियाँ
क्षेत्र → राज्य सरकार की कानून व्यवस्था

★ राज्यपाल - राज्य संघर्ष के उपाय :-

★ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ★

(i) एस. आर. बोम्मई वाद (1994)

- SC ने कहा राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ संविधान के नियमो के अनुरूप विधायिका पर लागु होगी।

by Karan Sir

- राज्यपाल विषयवस्तु देखकर निर्णय ले, केन्द्र के कहने पर नही।
- राज्य सरकार का विश्वास मत सदन पटल पर होना चाहिए।

(ii) B.P. सिंघल वाद (2010)

- राज्यपाल की कार्यावधि के दौरान, केन्द्र राज्यपाल को दबाव बनाकर नही हटा सकती। इसके लिए विस्तृत तरीका होना चाहिए।

(iii) नबाम रेबिया वाद (2016)

- SC ने कहा अगर CM के पास बहुमत हैं, तो राज्यपाल विशेषाधिकार उपयोग कर सदन बैठक नही बुला सकते।
- राज्यपाल को मंत्रीमण्डल की सलाह पर कार्य करने चाहिए।

★ आयोग की अनुशंसा ★

(i) सरकारिया आयोग

→ राज्यपाल की नियुक्ति मे CM का परामर्श जरूरी।
→ राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित होने बाद पद से राज्यपाल त्याग करे।
→ राजनेताओं को सेवानिवृत्ति के रूप मे राज्यपाल का पद नही दे।
→ विशेष परिस्थितियों मे Art 356 का उपयोग।

(ii) पुंछी कमीशन

→ राष्ट्रपति जैसा महाभियोग राज्यपाल पर भी लागु हो।

by Karan Sir

→ राष्ट्रपति शासन, राज्य के विशेष क्षेत्र में लागू हो।
→ राज्य विधेयको पर राज्यपाल द्वारा सीमित समय मे निर्णय।
→ राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष नियत हो।
→ विवेकाधीन शक्ति का तर्कसंगत उपयोग।

by karan Sir